

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 13 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 13.04.2024 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक बैठक आयोजित थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), इंडियन नेशनल काँग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल (यूनाईटेड), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तथा कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इसके साथ बिहार राज्य के लिए प्रतिनियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री मंजीत सिंह (भा.प्र.से) तथा विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री विवेक दुबे (भा.पु.से) भी उपस्थित थे।

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में दिनांक 12.04.2024 को चतुर्थ एवं पंचम चरण से संबंधित कुल 08 जिलों में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का प्रथम रैण्डमाईजेशन का कार्य पूर्ण हुआ। यह कार्य जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इसमें सम्मिलित जिलों एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No	District	PC	Total No of AS in District	Status
1	Darbhanga	6-Madhubani, 14-Darbhanga & 23-Samastipur (SC)	10	Completed
2	Vaishali	16-Vaishali, 22-Ujiarpur & 21-Hajipur (SC)	8	Completed
3	Begusarai	24-Begusarai	7	Completed
4	Lakhisarai	28-Munger	2	Completed
5	Patna	28-Munger, 30-Patna Sahib & 31-Patlipurta	14	Completed
6	Sitamarhi	4-Seohar & 5-Sitamarhi	8	Completed
7	Muzaffarpur	15-Muzaffarpur & 16-Vaishali	11	Completed
8	Saran	20-Saran & 19-Maharajganj	10	Completed
Total			70	

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में औरंगाबाद जिलांतर्गत वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है। भागलपुर जिलांतर्गत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। बक्सर जिलांतर्गत निर्वाचकों को प्रलोभन के संदर्भ में तीन (03) केस रिकॉर्ड है। लखीसराय जिलांतर्गत वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। नालंदा एवं पूर्णियाँ जिलांतर्गत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक (01)-एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01)-एक (01) एफआईआर दर्ज है। पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में तीन (03) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज है। सहरसा जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में दो (02) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार दो (02) एफआईआर दर्ज है।

आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सम्पत्तियों के मामले में रोहतास जिला के अंतर्गत एक (01) पोस्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है साथ ही एफआईआर भी दर्ज है। वहीं लोक सम्पत्तियों के मामले में पटना जिला में पोस्टर के एक (01) तथा निजी सम्पत्तियों के मामले में शेखपुरा में पोस्टर के दो (02) एवं बैनर के एक (01) मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

दिनांक 12.04.2024 को कुल ₹7.92500(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लिकर-22850.20(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹26.81396(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹17.48370(लाख) रुपये मूल्य के 46939.02(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹235.33815(लाख) रुपये मूल्य की 94639.43 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹287.56081(लाख) रुपये मूल्य की कुल जबती प्रतिवेदित है।